



## सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

### ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-11.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री महबूब आलम,  
स०वि०स०

श्री सुदामा प्रसाद,  
स०वि०स०

श्री गोपाल रविदास,  
स०वि०स०

श्री अनिल कुमार साहनी,  
स०वि०स०

श्री अजीत कुमार सिंह,  
स०वि०स०

श्री अरूण सिंह,  
स०वि०स०

“सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध, वृद्धाओं तथा किसी भी उम्र के विधवाओं, दिव्यांगों को 400/- रूपये का मासिक पेंशन दिया जाता है। आज के आसमान छूती महंगाई तथा प्रतिदिन की मुद्रास्फीति के कारण रूपये के मूल्य में काफी गिरावट हुई है एवं हो रही है। ऐसी भयावह स्थिति में मात्र 400/- रूपये से जीवन निर्वाह करना मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन है।

अतः जनहित में आर्थिक रूप से काफी कमजोर वृद्धों, वृद्धाओं, विधवाओं तथा दिव्यांगों को 3000/- (तीन हजार) रूपये प्रतिमाह पेंशन दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

समाज  
कल्याण

2. श्री प्रणव कुमार,  
संवि०स०  
श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव,  
संवि०स०  
श्री संजय सरावगी,  
संवि०स०  
श्री कुंदन कुमार,  
संवि०स०  
श्री बीरेन्द्र कुमार,  
संवि०स०  
श्री राम चन्द्र प्रसाद,  
संवि०स०  
श्री सुनील मणि तिवारी,  
संवि०स०  
श्री अनिल कुमार,  
संवि०स०  
श्री पवन कुमार यादव,  
संवि०स०  
श्री मिश्री लाल यादव,  
संवि०स०  
श्री लखेंद्र कुमार रौशन,  
संवि०स०  
श्री देवेश कान्त सिंह,  
संवि०स०

“बिहार के दरभंगा, पटना, मुंगेर,  
भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, मोतिहारी,  
बेगुसराय जिला समेत राज्य के सभी 110  
गौशालाओं को पूर्वजों ने हजारों एकड़ भूमि  
दान देकर स्थापित किये थे, लेकिन वर्तमान  
परिस्थिति में गौशालाओं की भूमि को  
भू-माफिया द्वारा प्रशासन की मिली भगत से  
कब्जा किया जा रहा है, कहीं-कहीं तो  
जमीन बिक भी रही है, जिसके कारण  
गौशालाओं के अस्तित्व पर खतरा बना हुआ  
है।

पशु एवं मत्स्य  
संसाधन /  
राजस्व एवं  
भूमि सुधार

अतः राज्य के सभी जिलों के  
गौशालाओं की जमीन की पैमाईस कराकर  
अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा से मुक्त कराने  
हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का  
ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

शैलेन्द्र सिंह

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-09/2022- 1183 / वि०स०, पटना, दिनांक- 10 मार्च, 2022 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(विमलेन्दु भूषण कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-09/2022- 1183 / वि०स०, पटना, दिनांक- 10 मार्च, 2022 ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय  
मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ  
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
(विमलेन्दु भूषण कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-09/2022- 1183 / वि०स०, पटना, दिनांक- 10 मार्च, 2022 ई० ।


प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / समाज कल्याण विभाग / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
10.3.2022  
(विमलेन्दु भूषण कुमार)


अवर सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-09/2022- 1183 / वि०स०, पटना, दिनांक- 10 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं संयुक्त सचिव के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

  
10.3.2022  
(विमलेन्दु भूषण कुमार)

अवर सचिव,  
बिहार विधान सभा, पटना ।

  
10.3.22